(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक 467–एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 19.02.2015 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 06/स्व. निग./2014–15

राधाचरण पुत्र अच्छेलाल ब्राह्मण,
निवासी ग्राम नदया, तह0 राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.) .....आवेदक

विरुद्ध

1. मुन्नालाल पुत्र रामदयाल तिवारी
   निवासी ग्राम खलरावन (तिवरनपुरवा) तहसील राजनगर
   जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन
3. महेन्द्रराज वाजपेयी पुत्र भुमानीदीन
   निवासी ग्राम तिवारी पुरवा मौजा लखरावन, तह0 राजनगर
   जिला छतरपुर (म.प्र.) .....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह

अनावेदक क. 1 की ओर से श्री आर.डी. शर्मा एवं अनावेदक क. 2 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश

(आज दिनांक 21/12/17 .....को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 06/स्व. निग./2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं आवेदक द्वारा ग्राम नंदया स्थित खसरा नं. 409 रकवा 4.221 हे. का नामांतरण आवेदन सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जो उन्होंने आदेश दिनांक 03.06.2000 स्वीकार किया। इस आदेश को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वमेव निगरानी में लेते हुए आदेश दिनांक 19.02.2015 द्वारा निरस्त किया गया। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है, क्योंकि उक्त आदेश रिकार्ड का अध्ययन किये पारित किया गया है । आवेदक ने प्रकरण सहायक बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष विधिवत सिद्ध किया था इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है। प्रकरण में आवेदक के पक्ष में जो वसीयत है वह गवाहों द्वारा सिद्ध की गई है, इस तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वमेव निगरानी में पारित आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। अपर कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में यह पाया है कि वसीयत के जो 2 साक्षी हैं उन्होंने अपने कथन में कहीं यह नहीं बताया है कि वसीयतनामा किसके द्वारा, किस तारीख को किस माह में किस स्थान पर लिखा गया था, वसीयत के समय वसीयतकर्ता की शारीरिक स्थिति व मानसिक स्थिति कैसी थी इत्यादि। उन्होंने यह भी पाया है कि तथाकथित वसीयतनामे पर एक–एक रूपये के पांच रसीदी टिकिट चस्पा हैं यह टिकिट कौन व्यक्ति कहां से लाया था, इन टिकिटों को गवाहों की अंगूठा निशानी लगाने के बाद किन परिस्थितियों में

अंगूठा निशानी के ऊपर चस्पा किया गया है, यह सिद्ध नहीं किया गया है । एक–एक रूपये रसीदी टिकिट संवत 2030 में प्रचलन में ही नहीं थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी पाया है कि दिनांक 30–6–2000 को आदेश पारित करते समय सहायक बंदोवस्त अधिकारी को इस प्रकरण में आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी, क्योंकि इसके पूर्व ही दिनांक 9–6–2000 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार म0प्र0 के समस्त क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण संक्रियाओं की घोषणा के लिए प्रकाशित की गई समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया था । उक्त आधारों पर अपर कलेक्टर ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी द्वारा वसीयतनामा के आधार पर आवेदक के पक्ष में पारित आदेश को विधि विरूद्ध मानकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर ने जिन निर्देशों के साथ प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया है वे अपने स्थान पर उचित एवं न्यायिक हैं और उनमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 19–2–15 स्थिर रखा जाता है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर